चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 20.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 20.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश में चलाये जा रहे वन महोत्सव कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण अभियान के क्रम में आज दिनाँक 20.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा कोलगदहिया मरजादपुर में लोन्ग फायरिंग बट हेतु आबंटित भूमि में अपने कर कमलों से बरगद का पौधा लगाया गया । इस दौरान लोन्ग फायरिंग बट हेतु आबंटित भूमि में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह सहित लगभग 50 पुलिस कर्मियों ने पौधे लगाकर वृक्षारोपण कर पर्यावरण जागरुकता का संदेश दिया गया ।

तत्पश्चत वन महोत्सव अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारीगण सहित पुलिस कार्यालय में नियुक्त कर्मचारीगण द्वारा सोनेपुर स्थित पुलिस कार्यालय में वृक्षारोपण कर पर्यावरण जागरुकता का संदेश दिया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलायेस जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आषुतोष तिवारी के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त शिवमंगल यादव पुत्र स्व0 अड्डा निवासी पयासी का पुरवा मजरा चिल्लीमल थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 17 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

<u>गिरफ्तरी करने वाली टीमः-</u>

1.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा

2.मुख्य आरक्षी बृजेन्द्र कुमार

3.आरक्षी शक्ति सिंह

4.आरक्षी राहुल पुरी

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में थाना मऊ पुलिस टीम ने ऑन डियूटी जेई पर हमला करने वाले आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

उल्लेखनीय है कि 06.07.2024 को 33/11 के.वी विद्युत उत्तर मऊ चित्रकूट के जेई श्री मोहित नवलानी द्वारा थाना मऊ में सूचना दी कि वो कस्बा मऊ में ऑन डियूटी थे इसी दौरान विजयराज गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता व सुरेश गुप्ता पुत्र भगवती प्रसाद गुप्ता निवासी कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट ने वह कस्बा मऊ में कार्यसरकार पर थे इसी दौरान कार्यसरकार में बाधा उत्पन्न करते हुये जान से मारने की नियत से डंडे से सिर पर वार कर दिया । इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 204/2024 धारा 109,121(1),132 बीएनएस बनाम विजयराज गुप्ता व सुरेश गुप्ता उपरोक्त पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक मऊ द्वारा घटना के संज्ञान लेकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम को निर्देशित किया गया । उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम एवं उनके हमराही द्वारा अथक प्रयास करते

हुये आज दिनाँक 20.07.2024 को अभियुक्त विजयराज गुप्ता उपरोक्त का घटना में प्रयुक्त डंडे के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

विजयराज गुप्ता पुत्र सुरेश गुप्ता निवासी कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट

गिरफ्तरी करने वाली टीम:-

1.उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम थाना मऊ

2.आरक्षी राहुल पाण्डेय

(6). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी थाना मानिकपुर एवं पैरोकार आरक्षी सुजीत यादव द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री हरिओम सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायाधीश ग्राम न्यायालय मानिकपुर सुश्री खुशबू चन्द्रा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2023 धारा 13 जुआ अधिनियम के आरोपी अभियुक्त अरुण सोनकर पुत्र गोंदालाल निवासी मानिकपुर रुलर व अभियुक्त सोमचन्द्र पुत्र माताबदल निवासी बालिमीकी नगर कस्बा व थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को न्यायालय उठने तक की सजा व 200-200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।